



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल: cfwestern49@rediffmail.com.

पत्र संख्या 597 / 12-1 हल्द्वानी दिनांक, नवम्बर, 04 / 2023।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत नगर पंचायत बनबसा एवं नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में टैंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 है० वन भूमि लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपके कार्यालय की पत्र संख्या 2205/FP/UK/others/33662/2018 दिनांक 20.03.2023।

महोदय,

संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की पत्र संख्या 2902/12-1 दिनांक 31.10.2023 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना सम्भव होगा। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या मय संलग्नकों सहित सादर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 597 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 2902/12-1 दिनांक 31.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।



वन्यजीव प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, तीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfo@rediffmail.com, Phone: 05946-254109, Fax: 05946-250298

पत्रांक 2902 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 31/10/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
हल्द्वानी।

विषय:- जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत नगर पंचायत बनबसा एवं नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रेचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 हे० वन भूमि लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/OTHERS/33662/2018)

संदर्भ:- प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक-1283/ठों0अप0प्रब0/2023-24 दिनांक-09.10.2023।
महोदय

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून पत्रांक-8B/UCP/109/112/2021/FC/1254 दिनांक 20.12.2022 द्वारा प्रकरण में ऑनलाईन भाग-01 के पैरा-H में आवश्यक सुधार एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के प्रताक-7154/12-1 दिनांक-18.05.2023 के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को आपत्तियों के निराकरण हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण ने उक्त संदर्भित पत्र (जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न) से अवगत कराया है कि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् ही पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना संभव है।

अतः उक्त विषयगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 2902 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खटीमा।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षण नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पंचायत बनवसा

मुन्डर बनवसा

!! कार्यालय नगर पंचायत बनवसा (घम्पावत) !!

(घम्पावत ही सेवा)

Email- 00.nagarpanchayatbanbasa@gmail.com

पत्राक- 12/23 / 100अप0प्रब0 / 2023-24

दिनांक- 19-10-2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्दानी।

विषय-

जनपद-घम्पावत के अन्तर्गत नगर पंचायत बनवसा एवं नगर पालिका परिषद, टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनवसा में ट्रैडिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 हे० वन भूमि लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/OTHERB/33882/2018)

महोदय

उपरोक्त विषय आपके कार्यालय के पत्र संख्या 7154/12-1/हल्दानी, दिनांक 18 मई 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आप द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 8B/UCP/109/112/2021/FC/1254 दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के द्वारा इस निकाय द्वारा प्रेषित सूचना अपूर्ण है, तथा उक्त प्रकरण में ऑनलाईन भाग-01 के पैरा-11 में आवश्यक सुधार करने हेतु लिखा गया था। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति (Environment Clearance) लिया जाना अभी संभव है जबकि उक्त भूमि का स्वामित्व इस निकाय के पास हो। बिना निकाय के स्वामित्व के वन भूमि पर पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना संभव नहीं है। इसके साथ ही महोदय यह भी अवगत कराना है कि भूमि हस्तान्तरण के पश्चात पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उक्त स्थल पर सैनिटरी लैंडफिल (SLF) का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

अतः महोदय से सादर निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

3

अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पंचायत बनवसा
घम्पावत। 0/c

प्रतिलिपि:-

1. निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, घम्पावत।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्दानी।

अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पंचायत बनवसा
घम्पावत। 0/c